फर्द अहकाम

रामरतन बनाम राजबाला वगै०

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जयपुर

केस संख्या 136/2021

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	25/11/22	पत्रावली पेश हुई, अधिवक्ता संघ द्वारा हड़ताल/कार्य का बहिष्कार करने पर पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 29/11/22 पेश हो।	
	29/11/22	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उप०। प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर वकील उभय पक्षो की बहस सुनी गई। वकील उभय पक्षो ने प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट को स्वीकार करने हेतु अपनी सहमति जाहिर की। अतः प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट को स्वीकार किया जाता है। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 30/11/22 को पेश हो।	
	30/11/22	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। वकील उभय पक्ष उप०। पत्रावली व प्राप्त कुर्रेजात का अवलोकन किया गया। अवलोकन कर वादी का वाद अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णीत व डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। निर्णय की प्रति पश्चातवर्ती वाद सं० 141/2021 में भी संलग्न किया जावे। पत्रावली कैफियत शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।	

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ, जिला जयपुर, राज0
बइजलास श्री चिमनलाल मीना R.A.S

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
136 / 2021	18 / 10 / 2021	30 / 11 / 2022

1. ग्यारसा पुत्र गणेश जाति मीणा निवासी ग्राम हरिकिशनपुरा, तहसील जमवारामगढ़, जयपुर।

वादी

बनाम

1. राजबाला पत्नि छोटू जाति मीणा निवासी रोड नं0 1डी, रघुनाथपुरी, बीकेआई, जयपुर।
2. रामपाल पुत्र गणेश जाति मीणा निवासी हरिकिशनपुरा, तहसील जमवारामगढ, जयपुर।
3. कल्ली पत्नि पांचुराम जाति मीणा निवासी बगराना, तहसील बस्सी, जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
5. उप पंजीयक जमवारामगढ जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभावक

श्री महेश शर्मा :– वकील वादी।
श्री रमाशंकर शर्मा :– वकील प्रतिवादी सं0 1

उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
141 / 2021	26 / 10 / 2021	30 / 11 / 2022

1. राजबाला पत्नि छोटू जाति मीणा निवासी रोड नं0 1डी, रघुनाथपुरी, बीकेआई, जयपुर।

वादी

बनाम

1. ग्यारसा पुत्र गणेश जाति मीणा निवासी ग्राम हरिकिशनपुरा, तहसील जमवारामगढ़,, जयपुर।
2. रामपाल पुत्र गणेश जाति मीणा निवासी हरिकिशनपुरा, तहसील जमवारामगढ, जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा–53, 188 बटंवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा रा0टी0एक्ट

–: निर्णय :–

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री महेश शर्मा ने यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण इस कथन के साथ पेश किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 247 रकबा 2.1600 हैक्टेयर अनुसार ग्राम हरिकिशनपुरा पटवार हल्का नायला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में स्थित है। जिसमें वादी बतौर पैतृक विरासत में मूलखातेदार सहखातेदार है। उपरोक्त वर्णित आराजी इस वाद में आगे वादग्रस्त आराजीयात से संबोधित किया गया है। वादपत्र के संबंध में अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रकरण में तकासमा डिक्री फरमाया जाकर वादग्रस्त कृषि भूमि में मुताबिक कब्जे एवं सरस नरस को मध्य नजर रखते हुए व रिकार्ड अंकितानुसार मूल खातेदार वादी के हिस्सा 1/3 की भूमि का विधिवत रूप से तकासमा कराया जावें तथा वादी की भूमि का राजस्व रिकार्ड व लगान प्रतिवादीगण से अलग कायम कराया जावें एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि वादीगण की वादग्रस्त भूमियों में वादी के कब्जे काश्त सहित प्रत्येक उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा दखल एवं मुजाहमत नही करे एवं वादी की भूमि में जबरन कब्जा जुताई प्रवेश, अतिक्रमण, कब्जा, निर्माण, परिवर्तन नही करावें। उक्त प्रकार के सभी कार्य ना तो प्रतिवादीगण स्वयं ही करें एवं अपने सर्वेन्ट, एजेन्ट परिवारजन, किसी अधिकारी आदि से भी ना करावें। वादपत्र में समुचित सुनवाई करते हुये विधि अनुसार दिनांक 19.05.2022 को वाद में प्राथमिक डिक्री आदेश जारी किये गये।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

प्रकरण में दिनांक 19.05.2022 को जारी किये गये प्राथमिक डिक्री आदेश की पालना में तहसीलदार जमवारामगढ से कुर्रेजात रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार जमवारामगढ अपने पत्र क्रमांक/एलआर/22/3134 दिनांक 18.08.2022 से संलग्न कर कुर्रेजात रिपोर्ट तीन प्रतियों में पेश की। प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट को शामिल मिसल कर कुर्रेजात रिपोर्ट पर दिनांक 29.11.2022 को वकील उभयपक्ष की बहस कुर्रेजात रिपोर्ट व वाद पत्र तथा पश्चातवर्ती वाद पत्र पर सुनी गई। वकील उभयपक्ष द्वारा कुर्रेजात स्वीकार करने में सहमति जाहिर की। बहस सुनी जाकर निर्णय किया गया।

पत्रावली का अद्योपान अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार जमवारामगढ के द्वारा प्रस्तुत बटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया, भूमिधारी तहसीलदार जमवारामगढ के द्वारा दोनो पक्षकारान की उपस्थिति में बटवारा कर बटवारा रिपोर्ट प्रस्तुत की। भूमिधारी तहसीलदार जमवारामगढ़ ने बटवारा हिस्से अनुसार किया। जिस पर वकील उभय पक्षकारान ने अपनी सहमति दी है। अतः वादी का वाद व पश्चातवर्ती वाद को अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम हरिकिशनपुरा पटवार मण्डल नायला तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 247 रकबा 2.1600हैक्टेयर का तकासमा कराया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य मुताबिक बटवारा रिपोर्ट के निम्नानुसार विभाजन किया जाता है। उसी मुताबिक इन्हे खातेदार तन्हा घोषित किया जाता है।

–: वर्तमान जमाबन्दी अनुसार :–

क्र. सं.	ग्राम का नाम	खाता संख्या	वर्तमान जमाबन्दी अनुसार	आराजी नम्बर	है0	किस्म	लगान
1	हरिकिशनपुरा	13	1. ग्यारसा पुत्र गणेश हि0 1/3 राहिन ओबीसी बैंक शाखा कानोता, 2. रामपाल पुत्र गणेश हि0 59/216 सा.देह, 3. राजबाला पत्नि छोटू हि0 85/216 जाति मीणा सा.रोड नं0 1डी मीणा मार्ग, रघुनाथपुरी, वी.के. आई. जयपुर खातेदार	247	2.16	चाही4	23.76
			योग	247	2.16	चाही4	23.76

–: प्रस्तावित :–

क्र. सं.	ग्राम का नाम	खाता संख्या	प्रस्तावित	आराजी नम्बर	है0	किस्म	लगान
1	हरिकिशनुपरा	13	ग्यारसा पुत्र गणेश जाति मीणा सा.देह राहिन ओबीसी बैंक शाखा कानोता खातेदार	247/1	0.72	चाही4	7.92
			योग	247/1	0.72	चाही4	7.92
2	हरिकिशनुपरा	13	रामपाल पुत्र गणेश जाति मीणा सा.देह खातेदार	247/2	0.59	चाही4	6.49
			योग	247/2	0.59	चाही4	6.49
3	हरिकिशनपुरा	13	राजबाला पत्नि छोटू जाति मीणा सा.रोड नं0 1डी, मीणा मार्ग, रघुनाथपुरी वी.के.आई. जयपुर खातेदार	247/3	0.85	चाही4	9.35

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

			योग	247/3	0.85	चाही4	9.35

उपरोक्त विभाजन अनुसार वर्तमान रेवन्यू रिकार्ड में अलग–अलग खाते दर्ज अंकित की जावे, साथ ही वादीगण एवं प्रतिवादीगण को हुक्म इक्तिनाइ दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वादी एवं प्रातिवादीगण के हिस्से मे आई आराजीयात में किसी प्रकार से कब्जे में दखल अंदाजी नहीं करें। नक्शा ट्रेस प्रमाणित किया गया। अन्तिम पर्चा डिक्री जारी है।

निर्णय आज दिनांक 30/11/2022 को मैरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

डिक्री मुकदमा इबताई

(रूल्स 18–21)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर

मुकदमा नम्बर 136/2021

1. ग्यारसा पुत्र गणेश जाति मीणा निवासी ग्राम हरिकिशनपुरा, तहसील जमवारामगढ़, जयपुर।

बनाम

1. राजबाला पत्नि छोटू जाति मीणा निवासी रोड नं0 1डी, रघुनाथपुरी, बीकेआई, जयपुर।
2. रामपाल पुत्र गणेश जाति मीणा निवासी हरिकिशनपुरा, तहसील जमवारामगढ, जयपुर।
3. कल्ली पत्नि पाचुराम जाति मीणा निवासी बगराना, तहसील बस्सी, जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
5. उप पंजीयक जमवारामगढ जिला जयपुर।

मुकदमा नम्बर 141/2021

1. राजबाला पत्नि छोटू जाति मीणा निवासी रोड नं0 1डी, रघुनाथपुरी, बीकेआई, जयपुर।

बनाम

1. ग्यारसा पुत्र गणेश जाति मीणा निवासी ग्राम हरिकिशनपुरा, तहसील जमवारामगढ़,, जयपुर।
2. रामपाल पुत्र गणेश जाति मीणा निवासी हरिकिशनपुरा, तहसील जमवारामगढ, जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

वाद अन्तर्गत धारा–53, 188 बटंवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा रा0टी0एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू श्री चिमनलाल मीना बहाजिरी श्री महेश शर्मा एडवोकेट बहाजीरी श्री रमाशंकर शर्मा पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाता है कि ग्राम हरिकिशनपुरा पटवार मण्डल नायला तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 247 रकबा 2.1600 हैक्टेयर का तकासमा कराया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य मुताबिक बटवारा रिपोर्ट के निम्नानुसार विभाजन किया जाता है। उसी मुताबिक, इन्हे खातेदार तन्हा घोषित किया जाता है।

–: वर्तमान जमाबन्दी अनुसार :–

क्र. सं	ग्राम का नाम	खाता संख्या	वर्तमान जमाबन्दी अनुसार	आराजी नम्बर	है0	किस्म	लगान
1	हरिकिशनपुरा	13	1. ग्यारसा पुत्र गणेश हि0 1/3 राहिन ओबीसी बैंक शाखा कानोता, 2. रामपाल पुत्र गणेश हि0 59/216 सा.देह, 3. राजबाला पत्नि छोटू हि0 85/216 जाति मीणा सा.रोड नं0 1डी मीणा मार्ग, रघुनाथपुरी, वी.के.आई. जयपुर खातेदार	247	2.16	चाही4	23.76
			योग	247	2.16	चाही4	23.76

30/11/21

उपखण्ड अधिकारी

क्र. सं.	ग्राम का नाम	खाता संख्या	-: प्रस्तावित :- प्रस्तावित	आराजी नम्बर	है0	किस्म	लगान
1	हरिकिशनुपरा	13	ग्यारसा पुत्र गणेश जाति मीणा सा.देह राहिन ओबीसी बैंक शाखा कानोता खातेदार	247/1	0.72	चाही4	7.92
			योग	247/1	0.72	चाही4	7.92
2	हरिकिशनुपरा	13	रामपाल पुत्र गणेश जाति मीणा सा.देह खातेदार	247/2	0.59	चाही4	6.49
			योग	247/2	0.59	चाही4	6.49
3	हरिकिशनपुरा	13	राजबाला पत्नि छोटू जाति मीणा सा.रोड नं0 1डी, मीणा मार्ग, रघुनाथपुरी वी.के.आई. जयपुर खातेदार	247/3	0.85	चाही4	9.35
			योग	247/3	0.85	चाही4	9.35

उपरोक्त विभाजन अनुसार वर्तमान रेवन्यू रिकार्ड में अलग-अलग खाते दर्ज अंकित की जावे, साथ ही वादीगण एवं प्रतिवादीगण को हुक्म इक्तिनाइ दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण एवं प्रातिवादीगण के हिस्से मे आई आराजीयात में किसी प्रकार से कब्जे में दखल अंदाजी नहीं करें। नक्शा ट्रेस प्रमाणित किया गया। अन्तिम पर्चा डिक्री जारी है।

मेरे दस्तखत एवं मोहर से आज दिनांक 30/11/2022 को जारी की गई।

30/11/22

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

मिलान स्टाप अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजूह सबुत			स्टाम्प वजूह सबुत		
महन्तानावकील			महन्तानावकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बबत्हजराय हुक्मनामा			बबत्हजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

30/11/22

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ